हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
21/02/25	

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई।
प्रकरण निम्न प्रकार है -

* प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राज. भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत प्रस्तुत किया गया है कि जमाबन्दी संवत् 2034-37 में ग्राम रोडलीजुरोहित की भूमि खसरा नं. मि. 63 की 14 बीघा 4 बिस्वा राजकीय सिवायचक किस्म गै.मु. बरड़ी दर्ज रिकार्ड थी।

* भू. प्रबन्ध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट संवत् 2038-57 उक्त आराजी के नवीन खसरा नं. 59 रकबा 0.17हैक्टे. किस्म बारानी सोयम बनाकर नवीन ख.नं. 59 को जयवीर पुत्र मानसिंह जाट व गुड्या ठाकुर पुत्र निरत ठाकुर के नाम दर्ज कर दिया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी

प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	लोड़पुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मूं. प्रबन्ध जमाबन्दी संवत् 2033-57 में किये गए उक्त इन्द्राज को निरस्त किया जाकर वर्तमान जमाबन्दी अनुसार खसरा नं. 59 रकबा 0.17 हैक्ट को राजकीय सिवायचक किस्म बारानी अव्वल दर्ज किया जावे। * प्रार्थनापत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। * अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम खेड़ली पुरोहित की खसरा नं. 63 में से 0.04 एकड़ (1 बीघा) भूमि प्रतिवादीगण को राजस्थान नहर परियोजना भूमि आवंटन एवं विक्रय नियम 1957 के अन्तर्गत ₹ 1200/- में कीमतन आवंटन की गई थी। आवंटन की शर्तों की पूर्ण पालना के कारण हस्तगत भूमि पर प्रतिवादीगण को

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे, तथा जमाबन्दी संवत् 2034-2037 में उपरोक्त भूमि प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड थी।	
* प्रतिवादीगण द्वारा यह भी निवेदन किया गया है कि हस्तगत आराजी प्रतिवादीगण को कन्ट्रा सुधार योजना के अन्तर्गत नियमानुसार आंवटित की गई थी, कन्ट्रा सुधार योजना के अन्तर्गत उप मुख्य संरक्षक (परियोजना) कोटा को कलेक्टर कोलोनाइजेशन की शक्तियाँ प्राप्त हैं। प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रतिवादीगण के पक्ष में हस्तगत आराजी का नियमानुसार आंवटन किया गया है। अतः प्रस्तुत प्रार्थनापत्र खारिज किया जावे।	
* न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27/08/2002 द्वारा प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया	

उपखण्ड अधिकारी कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा *

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	तथा आदेश दिये गए कि ग्राम खेडली मुहीदिन की आराजी ख.नं.59 रकबा 0.14 हैक्ट पर से अप्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड से हटाया जाकर वापस सिवाय चक खाता सरकार किस्म गै.मु. बरड़ी दर्ज किया जावे।
	* प्रतिवादीगण द्वारा न्यायालय SDM कोटा के निर्णय दिनांक 24.06.2002 के विरुद्ध प्रथम अपील न्यायालय ADC कोटा में प्रस्तुत की गई।
	* न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27/12/05 द्वारा न्यायालय SDM कोटा का निर्णय दिनांक 24/06/2002 निरस्त कर दिया गया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि पक्षकारों को सुनवाई व साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर 10 दिवस में नये सिरे से पुनः निर्णय पारित किया जावे।
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा * उपखण्ड अधिकारी कोटा	

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
* प्रतिवेदित प्रकरण रिकार्ड पर लेकर प्रतिवादीगण को साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया। * प्रतिवादीगण द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गए - - प्रमाणित प्रतिलिपि, नामान्तरकरण संख्या 64 दिनांक 24/01/1978 - प्रमाणित प्रतिलिपि - मिलान खतौनी संवत् 2038-57 - प्रमाणित प्रतिलिपि - जमाबन्दी ग्राम रंगडली पुरोहित संवत् 2038-57 - प्रमाणित प्रतिलिपि - जमाबन्दी संवत् 2047-2050 - प्रमाणित प्रतिलिपि - जमाबन्दी संवत् 2051-2054 * बहस सुनी गई। * हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया व वहा विद्वान अभिभाषक प्रतिवादीगण पर	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी कोटा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	अहद... तामील...
	गम्भीरता पूर्वक मनन किया। * पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों से यह प्रमाणित है कि जयवीर सिंह व गुड्या ठाकुर द्वारा हस्तगत आराजी के सम्बन्ध में चम्बल परियोजना सरकारी भूमि आवंटन एवं विक्रीनियम के तहत नीलामी में 11/08/1977 को क्रय की गई थी। उक्त नीलामी के आधार पर नियम 9 के तहत प्रमाणपत्र (किस्त) दिनांक 23/12/1977 को जारी किया गया था। तथा उक्त नीलामी के आधार पर दिनांक 10/05/1980 को प्रतिवादीगण को नियमानुसार कब्जा दिया गया था। * उक्त नीलामी के आधार पर ही हस्तगत आराजी नामान्तरकरण नं. 64 दिनांक 18/02/1978 से प्रतिवादीगण के खाते दर्ज की गई। * संलग्न जमाबन्दी संवत 2034-37	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * कोटा *

उपखण्ड अधिकारी कोटा

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
की खतौनी संख्या 6 से यह भी प्रमाणित है कि खसरा नं. मि.63 रकबा एक बीघा आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड थी।	
* उपरोक्त तथ्यों से यह पूर्णतया प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण द्वारा हस्तगत आराजी चम्बल परियोजना राजकीय भूमि आवंटन एवं विक्री नियम 1957 के तहत नियमानुसार नीलामी में क्रय की गई थी, तथा तत्समय नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादीगण का नाम दर्ज किया गया था।	
* संलग्न जमाबन्दी संवत 2034-37 से यह भी प्रमाणित है कि भू-प्रबन्ध की कार्यवाही से पूर्व ही हस्तगत आराजी प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड थी।	
इससे यह पूर्णतया प्रमाणित हो जाता है कि प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह प्रार्थनापत्र	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी कोटा

ी (प्रतिलिपि)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत किया गया है। * उक्त विवेचन के आधार पर हम प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 LR Act अस्वीकार किया जाना न्यायोचित पाते हैं। * परिणामत: प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। * पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★ 21/12/25 उपखण्ड अधिकारी कोटा	